न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 12/2023 — तारीख रजू:–11.07.2023

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2023/23

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. सुषमा पुत्र कन्हैयालाल बैरवा निवासी B 17 कृष्णा नगर, 80 फीट रोड़, महेश नगर, जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जरिए तहसीलदार, चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर।
2. राजेश पुत्र नारायण हरिजन, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. रमादेवी पत्नि जगदीश बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
4. बाबू पुत्र धन्ना बैरवा, निवासी, शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. भागचन्द पुत्र शिवनारायण बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
6. हंसा पत्नि भागचन्द बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. ओमशंकर पुत्र ताराचंद हरिजन, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
8. अनिल पुत्र प्रभू बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
9. दुर्गाशंकर पुत्र प्रभू बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
10. मनोज पुत्र प्रभू बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
11. विष्णु पुत्र प्रभू बैरवा, निवासी शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

–अप्रार्थीगण

उपस्थित::–

वकील प्रार्थी:–श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 लगायत 7 व 10:– श्री हंसराज यादव एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:23:22 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:– 29.11.2024

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट</u>

–: निर्णय :–

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1093 रकबा 0.8600 है0, खसरा नंबर 5976/5179 रकबा 0.1550 है0,

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

खसरा नंबर 5978 / 5179 रकबा 0.1172 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1322 है0 ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर अपने उपयोग व उपभोग में लेती चली आ रही है। प्रार्थीया का अधिकांशतया जयपुर आना जाना रहता है, इसलिये प्रार्थीया की अनुपस्थिति का लाभ का नाजायज लाभ उठाकर आस पड़ोस के खातेदार प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। जबकि प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर किसी अन्य को कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया की कब्जे काश्त व खातेदारी की ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1093 रकबा 0.8600 है0, खसरा नंबर 5976 / 5179 रकबा 0.1550 है0, खसरा नंबर 5978 / 5179 रकबा 0.1172 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.1322 है0 की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी कर उनको तलब किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 4, 8 लगायत 9 एवं 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 लगायत 7 व 10 के अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र के नवीन खसरा नंबर 5179 वाके ग्राम शिवाड़, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर कब्जा नहीं होने के कारण एवं साबिक खसरा नंबर 3488 के बने नवीन खसरा नंबर की गलत तरमीम बाबत् वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0 एक्ट खारिज फरमाया जावे।

5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0 / 2024 / 2017 दिनांक 18.10.2024 द्वारा मौके एवं कब्जे संबंधी रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाई है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 1093 रकबा 0.86 है0, खसरा नंबर 5978 / 5179 रकबा 0.1172 है0 एवं खसरा नंबर 5976 / 5179 रकबा 0.1550 है0 सुषमा पुत्री कन्हैयालाल हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 B 17 कृष्णा नगर, 80 फीट रोड़, महेश नगर, जयपुर के नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर उपस्थित मौतबिरान के बताये अनुसार खसरा नंबर 1093 रकबा 0.86 है0 पर खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालाल बैरवा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 5978 / 5179 रकबा 0.1172 है0 के आंशिक हिस्से लगभग 30 प्रतिशत (खसरा नंबर 1093 के सामने का हिस्सा) पर खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालाल बैरवा का कब्जा है, तथा शेष हिस्से राजेश पुत्र गैंदाराम हरिजन निवासी ईसरदा का कब्जा है तथा खसरा नंबर 5976 / 5179 रकबा 0.1550 है0 [illegible] खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालाल बैरवा का कब्जा नहीं है, जबकि मौके पर [illegible] के बताये अनुसार [illegible] देवी पत्नि जगदीश प्रसाद बैरवा निवासी [illegible] है तथा भागचंद पुत्र शिवनारायण बैरवा निवासी शिवाड़ का कब्जा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:23:22 IST
Reason: SelfAttested

6. बकुलाय बहस सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

7. हमने वकील उभयपक्षों की बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा बताये गये विवादित खसरा नंबरान में से खसरा नंबर 1093 रकबा 0.86 है0 पर खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालालबैरवा का कब्जा है, खसरा नंबर 5978/5179 रकबा 0.1172 है0 के आंशिक हिस्से लगभग 30 प्रतिशत पर ही खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालाल बैरवा का कब्जा एवं खसरा नंबर 5976/5179 रकबा 0.1550 है0 पर खातेदार सुषमा पुत्री कन्हैयालाल बैरवा का कब्जा न होकर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा है।

8. खसरा नंबर 5978/5179 के अधिकांश भाग (70%) पर एवं खसरा नंबर 5976/5179 के संपूर्ण भाग पर प्रार्थीया का कब्जा न होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण ही अपेक्षित है, कब्जे संबंधी विवादों का नहीं। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा साबिक खसरा नंबर 3488 के बने नवीन खसरा नंबर नंबरों की तरमीम गलत बतायी गई है और इस संबंध में न्यायालय में वादपत्र भी विचाराधीन होना बताया है, परन्तु प्रार्थीया के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत ऐसी किसी विशेष वादपत्र की प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही ऐसी किसी वादपत्र में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित ऐसा कोई भी आदेश, जिससे पत्थरगढ़ी प्रभावित होती हो, मेरे समक्ष पेश नहीं किया गया है। प्रार्थीया विवादित खसरा नंबर 1093 की रिकॉर्डेड खातेदार है एवं उस पर काबिज है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 1093 की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को राजस्व ग्राम शिवाड़ के पटवार मण्डल शिवाड़ बी के खसरा नंबर 1093 रकबा 0. 8600 है0 की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढ़ी करवाये जाने का नियमानुसार समस्त खर्चा प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2024.12.10 13:23:22 IST
Reason: SelfAttested